

न्यायालय—श्रीमती अर्चना नायडू बोडे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

जिला सीहोर (म0प्र0)

क्रमांक :- /मु0न्या0म0 / 2023

सीहोर, दिनांक—30 / 12 / 2023

॥ आ दे श ॥

इस आदेश द्वारा नीचे उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर/आष्टा/नसरुल्लागंज/बुदनी/इछावर को उनके नाम के समक्ष माह जनवरी 2024 में दर्शित अवकाश की तिथियों में रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक कार्य संपादित किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नांकित दर्शित तिथियों को अपरान्ह 3:00 बजे से 5:00 बजे तक उनके न्यायालय में आसीन होकर रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक (न्यायिक) कार्य संपादित करेंगे।

सीहोर :-

क.	नाम अधिकारी एवं पद	माह—जनवरी
1-	सुश्री निधु श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	—
2-	सुश्री इकरा मिन्हाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	01-01-2024
3-	श्रीमती राखी सिकरवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	—
4-	श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	—

आष्टा :-

कं.	नाम अधिकारी एवं पद	माह—जनवरी
5-	श्रीमती वंदना त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा	01-01-2024
6-	श्री मोहम्मद नियामत हुसैन रजवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा	—
7-	श्रीमती ऋचासिंह राजावत् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा	—

8-	श्रीमती ऋचा जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा	—
9-	सुश्री आयुषी गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आष्टा	—

नसरुल्लागंज :-

कं.	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियां
10-	श्रीमती सुनीता गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नसरुल्लागंज	माह जनवरी के सभी अवकाश दिवस में। नोट :- उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर होने पर उनके रिमांड का आवश्यक कार्य बुधनी में रिमांड कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा

बुदनी :-

कं.	नाम अधिकारी एवं पद	माह-दिसम्बर
11-	श्री अरविंद श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बुदनी	—
12-	श्री कुणाल वर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बुदनी	01-01-2024

इछावर :-

कं.	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियां
13-	श्री जितेन्द्र परमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इछावर	माह जनवरी के सभी अवकाश दिवस में। नोट :- उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर होने पर उनके रिमांड का आवश्यक कार्य सीहोर में रिमांड कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।

नोट :-

1- उक्त रिमाण्ड ड्यूटी मात्र जनवरी में दिनांक-01.01.2024 के लिए है। आगे की रिमाण्ड ड्यूटी की तिथि शीतकालीन अवकाश पश्चात् नियत की जावेगी।

(श्रीमती अर्चना नायडू बोडे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-सीहोर (म.प्र.)

पृष्ठा.क.-/मु0न्या0म0/2022

सीहोर, दिनांक- 30/12/2023

प्रतिलिपि :-

- 1- श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सीहोर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीहोर/आष्टा/नसरुल्लागंज/बुदनी/इछावर, जिला-सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 3- समस्त थाना प्रभारी की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कि प्रकरण से संबंधित जानकारी कार्यालय की ई-मेल आई.डी. -**dcourtseh_mp@nic.in** पर आवश्यकतानुसार प्रेषित करें।
- 4- अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, जिला-सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कि उक्त रिमाण्ड पत्रक से तहसील अभिभाषक संघ को अवगत कराने का कष्ट करें एवं प्रकरण से संबंधित आवेदन व दस्तावेज कार्यालय की ई-मेल आई.डी.**dcourtseh_mp@nic.in** पर आवश्यकतानुसार प्रेषित करें।
- 5- सिस्टम आफिसर/अस्सिस्टेंट सिस्टम आफिसर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त अवधि में न्यायालय में उपस्थित होकर वी.सी. की नियमानुसार कार्यवाही संपादित करायें।
- 6- सिस्टम ऑफिसर जिला सीहोर की ओर प्रत्येक संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के ई-मेल तथा जिला न्यायालय सीहोर के पोर्टल/वेबसाईट में प्रसारित करने हेतु प्रेषित।
- 7- जिला अभियोजन अधिकारी सीहोर/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आष्टा/नसरुल्लागंज/बुदनी/इछावर जिला-सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीमती अर्चना नायडू बोड़े)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-सीहोर (म.प्र.)

न्यायालय-श्रीमती अर्चना नायडू बोडे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला
सीहोर (म.प्र.)

क्रमांक-
दिनांक-28/07/2023

/ मु0न्या0म0 / 2023

सीहोर,

॥ संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ॥

दिनांक-01.07.2023 को पारित रिमाण्ड आदेश अनुसार श्री अरविंद श्रीवास्वत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुदनी द्वारा दिनांक-29.07.2023 की रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जाना थी, किन्तु उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 217/2023 बुदनी दिनांक-27.07.2023 के अनुसार उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी करने में वह असमर्थ है एवं उनके द्वारा श्री कुणाल वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुदनी के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित किये जाने के संबंध में आपसी सहमती ली गई है।

अतः दिनांक-29.07.2023 की रिमाण्ड ड्यूटी श्री अरविंद श्रीवास्वत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुदनी द्वारा संपादित की जानी थी, किंतु उनके स्थान पर दिनांक-29.07.2023 की रिमाण्ड ड्यूटी श्री कुणाल वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बुदनी के द्वारा संपादित की जायेगी।

उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नांकित दर्शित तिथि को अपरान्ह 3:00 बजे से 5:00 बजे तक उनके न्यायालय में आसीन होकर रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक (न्यायिक) कार्य संपादित करेंगे।

(वास्ते)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-सीहोर (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

1- श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सीहोर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 2- श्री अरविंद श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुदनी, जिला-सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।
- 3- श्री कुणाल वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुदनी, जिला-सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।
- 4- सिस्टम ऑफिसर जिला सीहोर की ओर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के ई-मेल पर प्रसारित किये जाने हेतु प्रेषित ।
- 5- सहायक लोक अभियोजन अधिकारी बुदनी, जिला-सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

(वास्ते)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-सीहोर (म.प्र.)

न्यायालय-श्रीमती अर्चना नायडू बोडे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला
सीहोर (म.प्र.)

क्रमांक-

/मु0न्या0म0/2023

सीहोर, दिनांक-02.09.2023

॥ संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ॥

दिनांक-01.07.2023 को पारित रिमाण्ड आदेश अनुसार सुश्री इकरा मिन्हाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर द्वारा दिनांक-10.09.2023 की रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जाना थी, किन्तु उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट की दिनांक-09.09.2023 एवं दिनांक-10.09.2023 को एमपीएसजेए जबलपुर में प्रशिक्षण होने से उसमें उपस्थित रहने एवं मुख्यालय से बाहर रहने के कारण एवं उनकी श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी से रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तन की आपसी सहमति होने से श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित की दिनांक-10.09.2023 की रिमाण्ड ड्यूटी नियत की जाती है।

दिनांक-18.09.2023 की रिमाण्ड ड्यूटी श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीहोर, जिला सीहोर के द्वारा संपादित की जानी थी, किंतु उनके स्थान पर दिनांक-18.09.2023 को सुश्री इकरा मिन्हाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीहोर, जिला सीहोर के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।

उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नांकित दर्शित तिथि को अपरान्ह 3:00 बजे से 5:00 बजे तक उनके न्यायालय में आसीन होकर रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक (न्यायिक) कार्य संपादित करेंगे।

(श्रीमती अर्चना नायडू बोडे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-सीहोर (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

- 1- श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सीहोर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- सुश्री इकरा मिन्हाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीहोर, जिला-सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 3- श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीहोर, जिला-सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 4- सिस्टम ऑफिसर जिला सीहोर की ओर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के ई-मेल पर प्रसारित किये जाने हेतु प्रेषित।
- 5- सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सीहोर, जिला-सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीमती अर्चना नायडू बोडे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-सीहोर (म.प्र.)

**न्यायालय—श्रीमती अर्चना नायडू बोडे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला
सीहोर (म.प्र.)**

क्रमांक—

/मु0न्या0म0/2023

सीहोर, दिनांक—16/10/2023

॥ संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ॥

दिनांक—30.09.2023 को पारित रिमाण्ड आदेश अनुसार श्री अरविंद श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुदनी द्वारा दिनांक—21.10.2023, 22.10.2023, 23.10.2023, 24.10.2023 को रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जाना थी, किन्तु उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 323/2023 बुदनी दिनांक—14.10.2023 के अनुसार उन्हें आवश्यक कार्य आ जाने से गृह नगर ग्वालियर जाना है वह उक्त दिनांक की रिमाण्ड ड्यूटी करने में वह असमर्थ है एवं उनके द्वारा श्री कुणाल वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुदनी के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित किये जाने के संबंध में आपसी सहमती ली गई है।

अतः दिनांक—21.10.2023, 22.10.2023, 23.10.2023, 24.10.2023 की रिमाण्ड ड्यूटी श्री कुणाल वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बुदनी के द्वारा संपादित की जावेगी।

एवं दिनांक—10.11.2023, 11.11.2023, 12.11.2023, 13.11.2023 की रिमाण्ड ड्यूटी श्री अरविंद श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बुदनी के द्वारा संपादित की जायेगी।

उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नांकित दर्शित तिथि को अपरान्ह 3:00 बजे से 5:00 बजे तक उनके न्यायालय में आसीन होकर रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक (न्यायिक) कार्य संपादित करेंगे।

(श्रीमती अर्चना नायडू बोडे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला—सीहोर (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

- 1— श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सीहोर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— श्री अरविंद श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुदनी, जिला—सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 3— श्री कुणाल वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुदनी, जिला—सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 4— सिस्टम ऑफिसर जिला सीहोर की ओर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के ई—मेल पर प्रसारित किये जाने हेतु प्रेषित।
- 5— सहायक लोक अभियोजन अधिकारी बुदनी, जिला—सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(श्रीमती अर्चना नायडू बोडे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला—सीहोर (म.प्र.)